

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

भौरीलाल बनाम उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ व अन्य

केस संख्या 138/2023 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आझा या फार्गवाही उभय पक्ष	आझा का विरतृत रूप	विशेष विवरण
04.03.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी श्री धिमन लाल मीणा आर०ए०एस० का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 117/2023 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 70/2023 व उनवानी भौरीलाल बनाम कमला व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री धिमन लाल मीणा आर०ए०एस० से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी धिमन लाल मीणा आर०ए०एस० का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p>	

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

